अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) के साथ पठित धारा 5 उपधारा (2), (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरण नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से भांड़ागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से नियम 4 के अधीन किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्रमाणपत्र' से नियम 6 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. **किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं** -- किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करेगा, अर्थात् :-

(i) ऐसा व्यक्ति --

(क) या तो पब्लिक या प्राइवेट कोई निगमित निकाय होगा और कंपनी अधिनियम, 1956 या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निगमित होगा ;

(ख) सरकारी निकाय या सरकारी संबद्ध निकाय होगा ;

(ii) ऐसा व्यक्ति आवश्यक अवसंरचनाएं रखता हो जिसके अंतर्गत पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारीवृंद भांडागारण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, वित्तीय सक्षमता और प्राधिकरण की समाधानप्रद रूप में विश्वसनीयता रखता हो ; और

(iii) ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भांडागारण कारबार में न लगा हो ।

4. **किसी प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन** -

(1) कोई व्यक्ति नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं रखता हो और किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की इच्छा रखता हो, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप-क में, आवेदन दो प्रतियों में कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) पहचान का सबूत जैसे किसी विधिक अस्तित्व जिसके अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और संगम - अनुच्छेद भी हैं ;

(ख) स्वामियों, शेयरधारकों, स्वत्वधारी और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामों की सूची ;

(ग) आवेदक द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रबंध कार्मिकों और तकनीकी विशेज्ञों की सूची और उनकी अर्हताएं तथा भांडागारण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव ;

(घ) संपरीक्षित रिपोर्ट के प्ररूप में वित्तीय विश्वसनीयता की विवरणी या समर्थित दस्तावेजों के साथ बजट विवरण ;

(ङ) घोषणा कि आवेदक किसी भांडागारण में प्रत्यायित नहीं है जिसमें उसके हितों का सीधा विरोध है ;

(च) घोषणा कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा ; और

(छ) पच्चीस हजार रुपये के अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस जो आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदेय होगी ; और

(ज) आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से एक लाख रुपये की प्रतिभूति निक्षेप करेगा :

परंतु सरकार नियंत्रित संस्था या निकाय प्रतिभूति सुरक्षा निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त होगा ।

परंतु ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले प्राधिकरण आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगा ।

8. **विधिमान्यता और नवीकरण** -- नियम 6 के अधीन प्रदान किए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और नियम 4, 5, 6 और 7 के अधीन उपबंधित रीति में समान अवधि के लिए नवीकरण योग्य होगा ।

9. **प्रत्यायन अभिकरण के कर्तव्य** -- प्रत्येक प्रत्यायन अभिकरण -- (क) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्राप्त होने पर ऐसे प्रमाणपत्र का अपने कारबार के प्रमुख स्थान पर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ;

(ख) प्रत्येक भांडागारण के संबंध में एक निर्धारण रिपोर्ट बनाएगा कि उसकी एक प्रति निर्धारिती और तैंतीस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अनुरक्षित रखेगा ;

(ग) प्रत्यायन भांडागारण के संबंध में लेखे, बहियों , अभिलेख और दस्तावेज रखेगा ;
(घ) उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा ;
(ङ) प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, कागजपत्रों, लेखों आदि के निरीक्षण को अनुज्ञात करेगा और सहायता प्रदान करेगा ; और
(च) प्रत्यायन भांडागारण का रजिस्टर प्रस्प - ग में रखा जाएगा और सूची को अपनी वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

10. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना** -- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र खो गया है, क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है । प्राधिकरण प्रस्प-घ किसी अनुरोध की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र फट गया है या विरूपित हो गया है, प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को उसे अभ्यर्पित करने पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ पांच हजार रुपये की फीस होगी जो आहरण और संवितरण अधिकारी भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में, किसी राष्ट्रीयकृत मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदेय होगी ।

11. **प्रत्यायन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने और सूची का प्रकाशन** -- नियम 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं प्रत्यायन अभिकरणों के नाम और पतों की सूची समय-समय पर प्राधिकरण की वैबसाइट पर सम्यक रूप से प्रदर्शित होगी ।

12. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण** -- (1) प्राधिकरण किसी प्रत्यायन अभिकरण को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा यदि --

(क) वह आवेदन में गलत जानकारी देता है ;
(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुपालन में असफल रहता है ;
(ग) नियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने में असफल रहता है

(2) यहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपनियम (1) के अधीन निलंबित या रद्दकरण होता है, प्राधिकरण नियम 4 के उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन संदेय की गई सुरक्षा जमा को अभ्यर्पित कर लेगा ।

प्ररूप क

(नियम 4 (1) और 8 देखें)

किसी प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने /रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण* करने के लिए आवेदन

सेवा में

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण
.....
.....
नई दिल्ली ।

आवेदक का फोटो

महोदय,

मैं/हम.....भारत..... में..... मुख्य..... रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....जिला..... राज्य.....कार्यालय/शाखा नं0..... टेलीफोन नं0 .....ई-मेल..... किसी प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने /रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण* .....से.....तक करने के लिए अनुरोध करता हूँ /करते हैं ।

1. अभिकरण की प्रास्थिति .....(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/सरकारी संगठन/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

2. भारत में कार्यालय/शाखाओं की संख्या .....

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत व्यापारवर्त .....

4. पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन .....

5. अलग शीट पर निम्नलिखित दें

(i) संगठनात्मक संरचना, प्रत्यय र

(ii) अन्य ब्यौरे जो समय-समय प

6. अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं0..... तारीख..... पच्चीस हजार रुपये के ..... (राष्ट्रीयकृत बैंक /शाखा का पता) जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

7. प्रतिभूति जमा रुपये एक लाख जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में ..... (राष्ट्रीयकृत बैंक /शाखा का पता) सं0..... तारीख..... जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

8. विद्यमान या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण संख्यांक** .....तारीख.....

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

** यदि लागू न हों तो काट दें ।

घोषणा

1. मैं/हम प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने को संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधि होने की घोषणा करता हूँ/करते हैं ।

2. मैं/हम प्रत्यायित भांडागारण के साथ हितों का कोई सीधा संघर्ष नहीं रखता हूँ या रखते हैं ।

3. मैं/हम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के नियम 4 के अधीन इस आवेदन से उपाबद्ध रिपोर्ट में अपेक्षित सभी ब्यौरे को उपलब्ध करा दिया है/ दिए हैं ।

4. मैं /हम रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/ सहमत हैं ।

5. मैं /हम यह सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं मेरे /हमारे ज्ञान मे सत्य व सही हैं और यदि किसी दशा में वह असत्य सिद्ध हो तो मैं /हम ऐसी मिथ्या या असत्य जानकारी से उत्पन्न होने वाली किसी क्षति के विरुद्ध इस कारबार में संबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ/देते हैं ।

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पता.....

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

1. किसी विधिक अस्तित्व के रूप में पहचान का सबूत जिसके अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद ;

2. स्वामी, शेयरधारकों, स्वत्वधारी और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नामों की सूची ;

3. आवेदक द्वारा लगाए गए मुख्य प्रबंध कार्मिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की सूची और भांडागारण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अर्हताएं और अनुभव ;

प्ररूप - ख

(नियम 6 देखें)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

200.....का रजिस्ट्रीकरण सं0.....

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र .....को पच्चीस हजार रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय पर .....जिला.....राज्य को भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) विनियम के उपबंधों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जिला..... राज्य..... पर स्थित किसी प्रत्यायन अभिकरण का कार्य संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. यह रजिस्ट्रीकरण ..... राज्य के लिए .....से ..... 201.... तक विधिमान्य होगा ।

2. प्रत्यायन अभिकरण किसी अन्य राज्य जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट उक्त स्थान से भिन्न है प्रत्यायन का कारबार नहीं करेगी ।

3. ये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विक्रय या अंतरण नहीं होगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35(2)(ख) के साथ पठित नियम 12 के उपनियमों के अंतरण में निरसन या निलंबन का दायी होगा ।

5. इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रति संहरण या निलंबन होने की दशा में, प्रत्यायन अभिकरण प्राधिकरण को अपने कब्जे में सभी अप्रयुक्त कागज प्ररूपों को अधिकरण को अभ्यर्पित कर देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्राप्त होने की दशा में प्रत्यायन अभिकरण ऐसे प्रमाणपत्र को अपने कारबार के मुख्य स्थान में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

7. प्रत्यायन अभिकरण प्रत्येक भांडागारण के संबंध में एक निर्धारण रिपोर्ट तैयार करेगा कि वह निर्धारण और उसकी प्रति तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए रखेगा ।

8. प्रत्यायन अभिकरण प्रत्यायित भांडागारणों से संबंधित लेखे, बहियां, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखेंगे ।

9. प्रत्यायन अभिकरण प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय अपने कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, कागजपत्रों, खातों आदि का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देंगे और सहायता प्रदान करेंगे ।

10. उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरण नही करेगे।

11. प्रत्यायन अभिकरण प्ररूप ग मे प्रत्यायित भांडागारण के रजिस्टर को रखेगे और अपनी बेबसाईट पर उसकी सूचि प्रकाशित करेगे।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर, मुद्रा

तरीख: .....

स्थान: .....

रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकरण किया गया है	विहित अधिकारी के हस्ताक्षर, मुद्र और तारीख
1.		
2.		
3.		

प्ररूप - ग

(नियम 9 देखें)

प्रत्यायित भांडागारणों का रजिस्टर

.....(प्रत्यायन अभिकरण का नाम)

..... (प्रत्यायन अभिकरण का नाम) से प्रत्यायित आवेदको/भांडागारणों की सूची

क्रम सं.	आवेदक/भाडागार का नाम	प्रत्यायन प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदन देने की तारीख	भाडागारण के निर्धारण / निरीक्षण की तारीख	क्या प्रत्यायित है यदि हा जिस तारीख को भांडागारण प्रत्यायित है	तारीख जिसको आवेदक/भाडागारण को प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी/रजिस्टर्ड/ स्पीडपोस्ट डाक से भेजा गया है
1					
2					
3					

प्ररूप - घ

(नियम 10 देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति को जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

.....

.....

नई दिल्ली

महोदय,

मैं/हम ..... जिला ..... राज्य में निवास करता हूं/करते हैं निवेदन है कि मेरा/हमारा मूल रजिस्ट्रीकरण सं..... जो ..... को ..... से ..... तक की अवधि के लिए जारी किया गया था निम्नलिखित परिस्थितियों में चोरी हो गया/खो गया है/नष्ट/विकृत हो गया है:

(क)

(ख)

(प्रमाणपत्र के चोरी होने/खो जाने/नष्ट हो जाने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और क्षतिपूर्ति बंधपत्र और यदि वह विकृत है तो मूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)

2. मैं/हम आपसे यह निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उन्हीं निबंधनों और शर्तों जिन पर उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक दूसरी प्रति प्रदान करें ।

3. मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति को जारी करने के लिए पांच हजार रुपए की फीस ..... का (राष्ट्रीयकृत बैंक/शाखा) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक सं..... तारीख..... (तारीख और ब्यौरे) संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं ।

4. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य है ।

तारीख .....

आवेदक का हस्ताक्षर

साक्षी 1. .....

साक्षी 2. .....

[फा. सं. टीएफसी/12/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव